संख्या-32/2018/1246/क0नि0प्र0/26-3-2018-16(40)/2016

प्रेषक,

राज रतन,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांकः 15 अक्टूबर,2018**
समाज कल्याण विभाग

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 02/2017/1403/क0नि0प्र0/26-3-2017-16(40)/2016 दिनांक 02 जनवरी,2017 के क्रम में निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक-1476/स.क./विकास/यू.सी.-द्वतीय किश्त/2018-19 दिनांक 09-10-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-बसखारी के ग्राम तरौली मुबारकपुर, उमरापुर मीनापुर, मकोईया एवं हुसैनपुर गिरन्ट तथा विकास खण्ड कटेहरी के ग्राम कोडार चक, बढ़रिया एवं नरायनपुर में, इण्टर लाकिंग, लेपन कार्य, सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण के स्वीकृत/ अनुमोदित कार्यो के सापेक्ष अवशेष रू0 301.72 लाख (रू0 तीन करोड़ एक लाख बहत्तर हजार मात्र) को अधूरे अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद- अम्बेडकर नगर

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	आवंटित की जा रही धनराशि
1	बसखारी	तरौली मुबारकपुर	इंटर लाकिंग नाली निर्माण।	55.19	22.00	33.19
		उमरापुर मीनापुर	लेपन कार्य	100.00	40.00	60.00
		मकोईया	इंटर लाकिंग नाली निर्माण।	65.84	26.33	39.51
		हुसैनपुर गिरन्ट	इंटर लाकिंग नाली निर्माण।	67.41	26.96	40.45
	कटेहरी	कोडार चक	सी0सी0 रोड, नाली निर्माण।	66.83	33.41	33.42
		बडेरिया	सी0सी0 रोड नाली निर्माण एवं इंटर लाकिंग	90.83	45.41	45.42
		नरायनपुर	सी0सी0 रोड नाली निर्माण एवं इंटर लाकिंग	99.45	49.72	49.73
			योग-	545.55	243.83	301.72

(रू0 तीन करोड़ एक लाख बहत्तर हजार मात्र)

1- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड से कार्य कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त कार्य मद में अधिष्ठान व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र अवशेष कार्यो को पूरा किया जायेगा। प्रयोजना के निर्माण के बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए निर्माण इकाई उत्तरदायी होगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी./ टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों तथा योजना संचालन संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या-664/ क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/ सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

5- प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

6- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सत्यापन हेतु गठित समिति के माध्यम से सदुपयोग प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य **ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।**

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
उप सचिव।

पृ.संख्या-32/2018/1246(1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), अम्बेडकर नगर।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड,लखनऊ।

7- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, अम्बेडकर नगर।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।

9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

राज रतन

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।